



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आह्काम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/1/2021	<p>पतावली पर हुई वक्तव्य 2009          देर 0.7 R-11 CPC पर वक्तव्य          सुनी गई वकील बाकी न अपनी          वक्तव्य में बताया कि देर 0.7 R-11 CPC          किन्तु CPC देखे जागी। मुल्तमाकान          स्टाम्प दुयरी नही है। देर 53,88,180          चाफ फा विचि द्वारा वनित्र है। सादेर          0.7 R-11 CPC के प्राक्चात्र जागु है।          सम्पुर्ण विचि अधिकारतक धारणवाही प्ररी          सने के बाद हिन्तु तम होगा। हम हमारे          टकक माहम। रनिहकिया व इकतरनामा          खारिज वही कटवाये। दाव में पक्षकार          अनामा या नही कनामा जकी नही प्ररग है।          भारी स्व जाजिर है या नही क्वारे सुनवाई          के बाद तम होगा। भारी क्वारे क्वारे          खारिज कटवाई जावे इसी वकील प्रियादी          न अपनी वक्तव्य में बताया कि राजाव          ग्राह गुठगना के खरक 901,903 व 451।          भारी दाई हुई है 1/2 खारियारी का          दावा किया है। सेवडेड हिन्तु 1/2 है          प्रियादी के 1 से 4 प्रकक व 1/2 हिन्तु          प्रयन पत्र (वीक) से दावा खारिज कर          प्रियादी व उक्त फतुदेरी व अनुदेरी</p>	

  
 बहादुर नरपत ६  
 उपसभ्य अधिकारी  
 न्याय महार (जोकर)

उत्तरिवादी सं. 1, 2, के हक में हकीमकी वार  
 दिया है। हकतरनामा निरस्तरीकरण का  
 दावा नहीं किया है। खतय नम्बर 906  
 जारी है। उत्तरिवादी का नहीं है। पपुडी व उदीप  
 के नाम का हॉल्डर अलग 1/2 का Declaration  
 मांग है। खतय नम्बर 965/908 उत्तरिवादी  
 सं. 4 फतुदेवी नं. 1, 2 का मेचान  
 कर है। स्वधर्मि सम्पादी सभी दस्तावेज  
 संपूर्ण पर का दिया है। लिहाजा  
 Application स्वकार का दावा खतय  
 फटमावे। हक व हक वक्तुलाय हुनी  
 वक्तु पर मतंग वक्तु एवं दस्तावेज  
 व उक्त मजरी का इवजाजत करने पर  
 पाया कि हकतरनामा का लेवा जारी न  
 क्लिपिल न्यायानय में जारी कार्यवाही  
 जारी की है। जमावदी अनुमा खतय (लेवा)  
 906 पपुडी व उदीप का सितका वंग  
 में मदेकरा नहीं कताय है। हुनी की  
 खतयदारी भूमिभरकारेवरी की मांग कस्य  
 आधारित नहीं है। अब मतावली  
 पर इलकय (समन्त्र हस्तावेज)  
 जमावदी गिरदावरी व मांगुदा दस्तावेज  
 का मध्यमज (सब हक उत्तरिवादी  
 संख्या 1 व 4 का प्रारंभ पर

रा.मु.नो.

  
 महायक कस्य हक  
 नयकस अधिकारी  
 राधादे भवन (जोधपुर)

फद अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

बनाम

केस मुकदमा

नं.

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>अन्तर्गत धारा 2(क) - 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाता है व वादी का काद खरीरज किया जाता है। पत्नावली केस न युगा होकर तम्र के कस की</p> <p>6</p> <p>अध्यक्ष कलकत्ता एच उपजज अधिकारी दिल्ली हाइड (जोधपुर)</p>	